सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 5567/1021/2015 दिनांकः– 10.10..2016

<u>के मामले में:</u>

श्री राजेन्द्र सिंह,
म.स. 260, सैक्टर – 04,
तिमारपुर, दिल्ली–110054 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

संयुक्त निदेशक,
मुख्यालय,
दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी,
एस.पी. मुखर्जी मार्ग,
दिल्ली–110006
ईमेल– delhipubliclibrary@gmail.com
dpl@dpl.gov.in ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 15.07.2016, 11.08.2016

उपस्थितः'–

<u>15.07.2016</u>

1. श्री राजेन्द्र सिंह, शिकायतकर्ता ।
2. प्रतिवादी अनुपस्थित ।

<u>11.08.2016</u>

1. श्री राजेन्द्र सिंह, शिकायतकर्ता ।
2. श्री अनिल कुमार मिश्रा, सहायक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, प्रतिवादी की ओर से ।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त शिकायतकार्त, जो 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत पदोन्नति से संबंधित शिकायत इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वह दिल्ली लाईब्रेरी में वर्ष 1995 से एम.टी.एस. के पद पर कार्यरत है एवं उन्होंने एम.ए. 1992 में और 1993 में बी.एड किया था व 2014 में सी. लिब. भी कर लिया है । पिछले 20 वर्ष से उनकी एक भी पदोन्नति नहीं हुई है ।

....2/–

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल/केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी के ब्रेल विभाग में प्रमाणवाचक के दो पद एक 2008 से और दूसरा 2012 से रिक्त हैं । उक्त पद के लिए वह पूर्णतया योग्य है और इस विषय में उन्होंने कई बार विभाग को लिखकर भी दिया है, परन्तु इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 0501.2016 के द्वारा उठाया गया ।

4. उप निदेशक (प्रशा.), दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संस्कृति मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक ए–12027/3/2015–स्था./3404 दिनांक 01.02.2016 द्वारा सूचित किया कि दिनांक 01.01.1996 से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में 'घ' से 'ग' में पदोन्नति नियम में प्रावधान न होने के कारण कोई पदोन्नति नहीं हुई है । दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में निःशक्तजन की पदोन्नति के लिए आरक्षण रजिस्टर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार बनाया गया है । दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में वर्ष 2014 में संशोधित भर्ती नियम में कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर से पुस्तकालय लिपिक के पद हेतु 75 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति का प्रावधान किया है । लेकिन वर्तमान में पुस्तकालय लिपिक के सभी स्वीकृत समाप्त माने जा रहे हैं । उनको जीवित करने के लिए भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय से प्रयास किए जा रहे हैं । भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही पुस्तकालय लिपिक के पद हेतु 75 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति की जाएगी ।

5. प्रतिवादी के उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में श्री राजेन्द्र सिंह, शिकायतकर्ता ने अपने दिनांक 05.02.2016 द्वारा सूचित किया है कि दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी के पत्र दिनांक 01. 02.2016 के अनुसार प्रमाणवाचक के विषय का कोई जिक्र नहीं किया गया है । जबकि उन्होंने प्रमाणवाचक की पदोन्नति के संबंध में लिखा था । ब्रेल विभाग मे ब्रेल प्रिन्टर लगा दिए गए हैं और यहां प्रमाणवाचक की आवश्यकता भी है । उन्होंने अनुरोध किया है कि मामले में उचित कार्यवाही की जाए ।

6. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 01.02.2016 की एक प्रति शिकायतकर्ता को उनके टिप्पण/रिज्वाइंडर हेतु इस न्यायालय के पत्र दिनांक 28.04.2016 के द्वारा भेजी गई ।

7. शिकायतकर्ता ने अपने रिज्वाइंडर दिनांक 17.05.2016 द्वारा निवेदन किया कि दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी कार्यालय ने जो सूचना दी है, हो सकता है वह उनके अनुसार

....3/–

सही जानकारी हो । दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी का यह कहना कि पूर्व भर्ती नियमों के अनुसार समूह 'ग' में पदोन्नति का प्रावधान नहीं था, यह बिल्कुल गलत है । पुस्तकालय में पूर्व भर्ती नियमों के अनुसार समूह 'ग' में पदोन्नति का प्रावधान था, इस तथ्य की जांच करवाई जा सकती है । सातवे वेतन आयोग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रुप 'ग' माना है तो उन्हें समूह 'घ' कर्मचारी क्यों माना जा रहा है । दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी में प्रमाणवाचक के पद को पुस्तकालय प्रशासन की वजह से निर्जीव माना जा रहा है, इसमें पुस्तकालय कर्मचारियों की क्या गलती है । प्रमाण वचक पद को वित मंत्रालय द्वारा समाप्त नहीं किया गया है । इस तरह के सभी पद को समय से नहीं भरने और उन पदों को स्वतः समाप्त की स्थिति में डाल देना, दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी प्रशासन की लापरवाहियों की पुष्टि होती है । दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी में भर्ती नियम संशोधित हुए हैं, उसमें सबंधित अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से किसी पद हेतु पदोन्नति का प्रावधान रखा है जबकि पूर्व भर्ती नियम में नहीं था, तो प्रमाणवाचक पद हेतु क्यों नहीं, इससे स्पष्ट होता है कि विकलांग कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण बर्बरता की जा रही है ।

8. शिकायतकर्ता का आगे कहना है कि दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी प्रशासन ने तीसरी, चौथी पास सामान्य कर्मचारियों को पदोन्नत कर 19900/– से 4200/– और 4600/– ग्रेड पे दिया है जो डीओपीटी के अनुसार गलत है, इसके लिए कौन सा नियम कहां से लाया गया है । कुछ कर्मचारियों को बिना केडर के एएलआईओ के पद पर पदोन्नत किया गया है । कुछ को चार–चार एमएसीपी दिया गया है, जो नियमों के विरूद्ध है। दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी के अधिकारियों ने उनकी प्रमाणवाचक की योग्यता भी उनकी फाइलों से गायब करा दी है जिससे वे पदोन्नति न मांग सकें । उन्होंने कई बार अध्यापक के पद हेतु आवेदन किया, लेकिन अधिकारियों ने उनके आवेदन को फारवर्ड नहीं किया । उन्होंने अनुरोध है कि तथ्यों की जांच करवाई जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए ।

9. प्रतिवादी के पत्र सं.ए–12027/3/2015–स्था./3997 दिनांक 22.03.2016 एवं शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 12.05.2016 को मद्देनज़र मामले की सुनवाई दिनांक 15.07.2016 को निर्धारित की गई ।

10. प्रतिवादी की ओर से दिनांक 15.07.2016 को सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के पत्र. दिनांक 17.06.2016 द्वारा स्पीड डाक से भेजी गई थी ।

...4/–

11. प्रतिवादी की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है ।

12. शिकायतकर्ता ने सुनवाई के दौरान अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि जब वर्ष 2014 में सभी पदो के भर्ती नियम पुनरीक्षित हुए, उस समय एल.सी. के पद के साथ कई और पद, जो सीधी भर्ती से भरे जाते थे, पदोन्नति में कर दिए गए । परन्तु ब्रेल प्रमाणवाचक के पद को पदोन्नति में नहीं रखा गया क्योंकि दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी में वे ही केवल अकेले दृष्टिहीन कर्मचारी हैं । ब्रेल प्रमाणवाचक का पद जब जब भी विज्ञापित किया गया, उन्होंने आवेदन किया क्योंकि वें पूरी योग्यता रखते हैं परन्तु उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया । इस पुस्तकालय में दो पार्ट टाइम हेल्परों को बिना भर्ती नियमों के चुपचाप एमटीएस के पद पर बिना किसी नियम के नियमित कर दिया गया । अभी चार एल.डी.सी. के पद पदोन्नति आधार पर उनके एमटीएस कैडर से भरे गए जिसके लिए उन्होंने भी आवेदन किया था । इस पर उन्हें बताया गया कि एलडीसी के इन चारों पद पर टंकण परीक्षा होगी और जो पास करेगा, उसी की पदोन्नति की जाएगी । फिर भी टाइप टेस्ट में सभी फेल अभ्यर्थियों को एलडीसी के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया जबकि वें पिछले लगभग डेढ वर्ष से अपने हक के लिए धक्के खा रहे हैं क्योंकि वे एक दृष्टिहीन व्यक्ति हैं ।

13. मामले की अगली सुनवाई दिनांक 11.8.2016 को निश्चित की गई ।

14. दिनांक 11.08.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि जब वर्ष 2014 में सभी पदो के आर.आर. रिवाइज्ड हुए उस समय एल.सी. के पद के साथ कई और पद, जो सीधी भर्ती से भरे जाते थे, पदोन्नति में कर दिए गए । परन्तु ब्रेल प्रभाव—वाचक के पद को पदोन्नति में नहीं रखा गया क्योंकि दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी में केवल वे ही अकेले दृष्टिहीन कर्मचारी हैं । ब्रेल प्रमाणवायक का पद जब जब भी विज्ञापित किया गया उन्होंने आवेदन किया क्योंकि वे पूरी योग्यता रखते हैं परन्तु उन्हें कोई जावाब नहीं दिया गया । इस पुस्तकांलय में दो पार्ट—टाइम हेल्परों को चुपचाप एमटीएस के पद पर बिना किसी नियम के नियमित कर दिया गया । अभी चार एल.डी.सी. के पद पदोन्नति आधार पर एमटीएस कैडर से भरे गए जिसके लिए उन्होंने भी आवेदन किया था । इस पर उन्हें बताया गया कि एलडीसी के इन चारों पदों पर टंकण परीक्षा होगी और जो पास करेगा उसी को पदोन्नति की

...5/—

जाएगी । उन्हें न तो टाइप टेस्ट के लिए बुलाया और न ही एलडीसी के पद पर पदोन्नति दी गई । नार्मल व्यक्ति के लिए सभी तरह से स्वयं नियम बनाए जा सकते हैं और लाभ दिया जा सकता है परन्तु उनके साथ दृष्टिहीन होने के कारण भेदभाव किया जा रहा है । जब तक प्रमाणवाचक का पद मंत्रालय से रिवाइज़ नहीं होता है तब तक उन्हें एलडीसी के पद पर नियुक्त किया जा क्योंकि श्री रामेश्वर सिंह रावत ने इस पद को ग्रहण करने से अस्वीाकर कर दिया था, इसलिए नियुक्ति का प्रथम अधिकार उनका है ।

15. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने न्यायालय का ध्यान प्रतिवादी के पत्र दिनांक 22.03.2016 के पैरा 5 की ओर दिलाया और निवेदन किया कि दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी में पूर्व भर्ती नियम, 1994 के अनुसार समूह ग पदों हेतु पदोन्नति का प्रावधान नहीं था । पुस्तकालय में भर्ती नियमों को संशोधित किया गया है जो जून, 2015 से लागू हैं, जिसमें कुछ पदों में समूह ग पदों हेतु पदोन्नति का प्रावधान है परन्तु विकलांगजन अधिनियम, 1995 की धारा 47(2) के अंतर्गत निशक्त कर्मचारियों हेतु संबंधित पदों का चयन अभी विचाराधीन है । श्री राजेन्द्र सिंह, एम.टी.एस. (लिब.) (समूह ग) की शिकायत में इस पुस्तकालय में प्रणामवाचक पद (ब्रेल प्रूफ रीडर) को सीधे भर्ती माध्यम द्वारा भरे जाने का प्रावधान है, इसलिए किसी भी (समूह ग, अथवा घ) कर्मचारी को इस पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता । इसके अलावा उक्त प्रमाणवाचक पद वर्ष 2008 व 2012 से रिक्त हैं जो वित मंत्रालय, व्यय विभाग के निर्देशानुसार जीवित नहीं हैं (Treated as deemed abolished), जिसको पुर्नजीवित हेतु प्रक्रिया जारी है ।

16. दोनों पक्षकारों को सुनने तथा फाइल में रखे दस्तावेज़ों का परिशीलन करने के पश्चात् यह न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश देता है कि:–

(1) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जिन दिशा–निर्देशों के आधार पर वर्ष 2014 में लाईब्रेरी कलर्की के भर्ती नियमों को संशोधित किया गया था, उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर ब्रेल प्रमाणवाचक (प्रूफ रीडर) के भर्ती नियमों को भी यथाशीघ्र संशोधित किया जाए ।

(2) विकलांगजन अधिनियम, 1995 की धारा 47(2), जिसमें यह उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति को, केवल उसकी निशक्तता के आधार पर प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा : परन्तु यह कि समुचित सरकार, किसी स्थापन में किए जा रहे कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो

....6/–

ऐसी अधिसूचना में विहित की जाएं, किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी, का भी पालन किया जाए ।

(2) प्रतिवादी को ये भी निर्देश दिए जाते हैं कि उनके पत्र दिनांक 22.03.2016 के पैरा 5 में उनके द्वारा किए गए कथन के अनुसार लैप्स हुए पदों को यथाशीघ्र रिवाइव करवाएं तथा यदि शिकायतकर्ता नियमानुसार उक्त पद के लिए अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है तो शिकायतकर्ता को पदोन्नति का लाभ दिया जाए ।

17. मामले का तदनुसार निपटारा किया जाता है ।

(डा.कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निशक्तजन